<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 31.08.2022</u>

<u>शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 31.08.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त शिवकुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिवकुमार पुत्र बच्चू निवासी गडेरियनपुरवा मौजा पिपरीमाँझा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-322/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 1 किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 साहेब कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 31.08.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-राजकुमार उर्फ सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की की माँ द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजकुमार उर्फ सुरेश पुत्र रामनिवास उर्फ रामनेवाज निवासी ग्राम सरकाण्ड रामनगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-249/2022 धारा 363,376 भादवि व 5/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 31.08.2022

जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध बडी कार्यवाही, 08 अभियुक्त गिरफ्तार, 230 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामदः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना को0 देहात पुलिस ने थाना क्षेत्र मे दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 ली0 शराब, थाना परसपुर पुलिस ने 01 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना नवाबगजं पुलिस ने 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 190 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरूद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>अधिवर्षता सेवा पूर्ण करने वाले 02 पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत्तः-</u>

आज दिनांक 31.08.2022 को जनपद गोण्डा मे नियुक्त उ०नि०ना०पु० श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी व उ०नि०ना०पु० श्री सुखराम यादव पुलिस सेवा में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने पुलिस कार्यालय में उन्हें फूलमाला पहनाकर, अंग वस्त्र व धार्मिक पुस्तकें भेंट कर विदाई दी तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकान्त गौतम, क्षेत्राधिकारी सदर विनय कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक यशवन्त प्रताप सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 31.08.2022

थाना कोतवाली देहात ने टाप-10 अपराधी को अवैध मादक पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर टाप-10 अपराधी अभियुक्त संदीप कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 310 (31 पत्ते) अवैध अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप कुमार पुत्र रामकेवल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम विशुनपुर बैरिया थाना को0 देहात गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-387/22, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 310 (31 पत्ते) अवैध अल्प्राजोलम टैबलेट।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 150/21 धारा 327,323,504,506 भादवि थाना थाना कोतवाली देहात गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 149/19 धारा 147, 148,149,302,506 भादवि,7 CL Act, थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 NIL/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा एक्ट , थाना कोतवाली देहात गोण्डा
4. मु0अ0सं0- NIL/22 धारा रा0सु0का0 कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 387/2022 ,धारा 8/21 NDPS थाना कोतवाली देहात गोण्डा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>जनपद- गोण्डा</u>

<u>दिनांक – 31.08.2022</u>

<u>'मिशन शक्ति' व 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास व रु० 2000/- के अर्थदण्ड की सजा-</u>

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास व रु0 2000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 16.06.2018 को थाना खोड़ारे क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश चौहान पुत्र जगन्नाथ निवासी केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना खोड़ारे के पैरोकार आरक्षी मिंटू चौरसिया द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व रु० 2000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

01. सुरेश चौहान पुत्र जगन्नाथ निवासी केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01.मु०अ०सं०- 95/18, धारा 354 भा०द०वि० व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।